बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक—प्र0 / BSPTCL—11 / 2024— / पटना, दिनांक—

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः— माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु रोह (नवादा) में एक नये 2X80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 132 / 33 के०वी० ग्रिड सब—स्टेशन, इससे संबंधित 132 के०वी० के संचरण लाईनों एवं नरहट (बी०जी०सी०एल०) जी0आई0एस0 ग्रिड सब—स्टेशन में दो जी0आई0एस0 लाईन 'बे' के निर्माण हेतु कुल 191.26 करोड़ (एक सौ इक्यानवे करोड़ छब्बीस लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1** के अंतर्गत विमुक्त की गयी राशि में से वित्तीय वर्ष 2026—27 में 82.50 करोड़ (बेरासी करोड़ पचास लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश—स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश सं0—947 दिनांक—28.02.2025 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु रोह(नवादा) में एक नये 2X80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 132 / 33 के०वी० ग्रिड सब—स्टेशन, इससे संबंधित 132 के०वी० के संचरण लाईनों एवं नरहट (बी०जी०सी०एल०) जी0आई0एस0 ग्रिड सब—स्टेशन में दो जी0आई0एस0 लाईन 'बे' के निर्माण हेतु कुल 191.26 करोड़ (एक सौ इक्यानवे करोड़ छब्बीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 38.25 करोड़ (अड़तीस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 153.01 करोड़ (एक सौ तिरेपन करोड़ एक लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये इक्विटी स्वरूप बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अबतक 15.00 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0 द्वारा Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि में से 82.50 करोड़ रूपये की मांग गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के द्वारा ऊर्जा प्रक्षेत्र के लिए Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1 के अंतर्गत स्वीकृत राशि 1500.00 करोड़ रूपये में से प्रथम किशत के रूप में 990.00 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत यह योजना भी सम्मिलित है।

3. उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु रोह (नवादा) में एक नये 2X80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन, इससे संबंधित 132 के०वी० के संचरण लाईनों एवं नरहट (बी०जी०सी०एल०) जी0आई0एस0 ग्रिड सब–स्टेशन में दो जी0आई0एस0 लाईन 'बे' के निर्माण हेतु कुल 191.26 करोड़ (एक सौ इक्यानवे करोड़ छब्बीस लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1 के अंतर्गत विमुक्त की गयी राशि में से वित्तीय वर्ष 2026–27 में 82.50 करोड़ (बेरासी करोड़ पचास लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0105–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900105 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से वित्त विभाग के स्तर पर Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1 के अन्तर्गत खोले गये SNA Account आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, बोरिंग रोड, पटना के खाता सं0–040401016029 एवं IFSC Code-ICIC0000404 में हस्तांतरित की जायेगी।

6. उक्त राशि का व्यय Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1 में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–11/2024 के पृष्ठ संख्या–23/टि0 पर दिनांक–25.02.2025 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–11/2024 के पृष्ठ संख्या–43/टि0 पर दिनांक–05.08.2026 को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL–11/2024– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / BSPTCL–11 / 2024– 4166 / पटना, दिनांक– 05.08.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा / सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.08.26

सरकार के संयुक्त सचिव।